समझौता ज्ञापन
चयनित ग्रामों के गरीबों के लिए
ग्रामीण रोजगार गारण्टी सुनिश्चित करने हेतु
कमिशनर, ग्रामीण विकास
और
स्वयं सेवी संस्थाओं, जन संस्थाएं और उनके तंत्र
के बीच
(जैसा कि अनुलग्नक–1 में सूचीबद्ध है)

उद्देश्यः

यह करार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में गरीबों के आरक्षित रोजगार के अधिकारों को सुनिश्चित करनें के लिए पारस्परिक समझ व सहयोग के द्वारा साथ में काम करने के लिए बना है। यह समझौता ज्ञापन एक साल (1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक) के लिए क्रियाशील रहेगा।

1. ग्रामीण विकास विभाग जरूरत व मांग के आधार पर चुनिंदा ग्रामों में से अभिज्ञात गरीबों को 100 दिनों के रोजगार मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा–

- ग्राम व मण्डल दफ्तरों में कार्य आवेदन मुहैया कराना।
- कार्य आवेदन लेना व उनके एवज में रसीदों को देना।
- ऐसे कामों को शुरू करना जो कि प्रार्थियों के लिए उपयुक्त दिनों की मजदूरी सुनिश्चित करे और जो कि 15 दिनों के निर्धारित समयावधि के अन्दर शुरु हों।
- 15 दिनों के अन्दर मजदूरी का भुगतान।
- सामाजिक संस्थाओं द्वारा मण्डल व जिला अधिकारियों के ध्यान में लाए गए नागरिक मुद्दों का अतिशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करना कि जितने भी क्षेत्र सहायकों, तकनीकी सहायकों और कार्यक्रम अधिकारियों के पद हैं उन्हें भरा जाए।
- यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण कार्यकर्ता सारे अभिलेख ग्रामस्तर पर ठीक से बनाए रख रहे है।
- सारे कार्य स्थलों पर मस्टर रोल और कार्य मंजूरी की विस्तृत सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पे ऑर्डर और भुगतान किए गए मस्टर रोल की प्रति को ग्राम पंचायतों में चिपकाने हेतु या काम खोजने वालों के साथ सत्यापित करने हेतु, संस्थाओ के साथ बांटें।
- कार्य स्थलों की सुविधाओं, बच्चों के घ्यान रखने हेतु आंगनवाड़ी के साथ संयोजन, भूमिहीन गरीबों के लिए कार्य के लिए जरूरी औजारों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय करें।
- मजदूरों / किसानों / पंचायतों के प्रस्तावों के साथ स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित अनुमोदन व आधार के लिए अ.जा/अ.ज.जा जमीनों के विकास कार्यो को प्राथमिकता के साथ शुरू करें ।

2. नागरिक समाज संस्थाओं की जिम्मेदारी
अनुलग्नक में सूचीबद्ध संस्था/ तंत्र निम्नलिखित जिम्मेदारियों का वहन करेंगे :

- सुनिश्चित करें कि ग्राम में कार्य खोजने वाले कामके लिए आवेदन करें और रसीद प्राप्त करें।
- सुनिश्चित करें कि ग्राम स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी सारे अभिलेखों को ग्राम स्तर पर ठीक से रख रहे है।
- सुनिश्चित करें कि सारी कार्य स्थल की सुविधाएं कार्यक्रम के अमले द्वारा मुहैया कराई जा रही है।
- सुनिश्चित करें कि अधिकारी कार्य स्थल पर सारे कामों की जानकारियों के प्रदर्शन के लिए पटों की व्यवस्था कर रहे है।
- सुनिश्चित करे कि प्रदत्त मस्टर रोल सारे कार्यखोजियों को पढ़ कर सुनाया गया है।

- इस तरह कार्य करें कि एक मण्डल में करीब 2000 कार्य खोजियों को एक वर्ष में 100 दिन का काम मांग पर मिल सकना सुनिश्चित हो।
- सुनिश्चित करें कि काम करने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान हो जाए।
- सोशल ऑडिट में भाग लें।
- अ.जा/अजजा से संबंधित भूमि व अन्य संसाधन विकास कार्य की पहचान कर व मण्डल अधिकारियों के समक्ष अनुमोदन व कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत करें।
- सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में एकल महिलाएं, बूढ़े, विकलांग और एस. सी, एस.टी. कार्य खोजियों के साथ कोई भेदभाव न हो।

3. समीक्षा व समन्वय :

सारी संस्थाएं जो कि इस समझौते से सहमत हैं उन्हें निम्न की अनुमति है:

- मण्डलीय स्तर पर हो रही अधिकारिक साप्ताहिक सोमवार की बैठकों में भाग लेने की ।
- कार्यक्रम अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर हो रहीं अधिकारिक मासिक पुनरीक्षण बैठकों में भाग लेने की।
- समझौता ज्ञापन के परिचालन से संबंधित और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यन्वयन के लिए एक द्वैमासिक पुनरीक्षण बैठक कमिश्नर, ग्रामीण विकास के साथ होगी।
- समझौता ज्ञापन के परिचालन–संबंधी कोई भी कमियॉ और मुद्दे द्वैमासिक बैठक में कमिश्नर, ग्रामीण विकास के साथ चर्चा में लाये जायेंगे और इनको ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाये जायेंगे ।

4. अनुलग्नक के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाएं मण्डलों व सम्बन्धित ग्रामों में काम करेगी और सम्बन्धित स्थानीय संस्थाएं करार में लिखित कार्यों को पूर्ण करने लिये जिम्मेदार होगी ।

5. इस करार के तहत आने वाले बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिचालन में जो खर्चे आते है वे सम्बन्धित जिला जल प्रबंधन एजेन्सियों या आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, पूर्व–अनुमोदन के आधार पर, वहन किया जायेगा।

दोनो करारकर्ता गरीबों के सुनिश्चित रोजगार गारंटी अधिकार के लिए समझौता ज्ञापन में उल्लेखित जिम्मेदारीयों को पूरा करने के लिए परस्पर सहमत है ।

दिनांक :

ग्राम विकास विभाग	उपाधि हामी हक्कू अमालू समिति (यू.एच.एच.ए.सी) के लिए
अ. शान्ता कुमारी	के. एस. गोपाल
कमिश्नर	आर. भानुजा